समाचार

जी.एफ.सी. स्टार रेटिंग व ओ.डी.एफ. प्लस–प्लस की तैयारियों को दें अंतिम रूप – आयुक्त

(आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने निगम अधिकारियों की बैठक लेकर गारवेज फ्री सिटी स्टार रेटिंग, ओ.डी.एफ. प्लस–प्लस व वाटर प्लस के संबंध में किए जाने रहे कार्यो की बिन्दुवार समीक्षा की, त्रुटिरहित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु दिए आवश्यक दिशा निर्देश)

कोरबा 28 मार्च 2025 – आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने आज निगम के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि गारवेज फ्री सिटी स्टार रेटिंग, ओ.डी.एफ. प्लस–प्लस एवं वाटर प्लस से जुड़े सभी कार्यो पर विशेष फोकस रखते हुए इस संबंध में की जा रही तैयारियों को अंतिम रूप दें, उन्होने कहा कि कचरे के डोर–टू–डोर कलेक्शन, सोर्स सेग्रीगेशन, अपशिष्ट की प्रोसेसिंग, अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेंट, सीटीपीटी. वाटरबाडी व शहर सौदंर्यीकरण सहित समस्त बिन्दुओं पर ठोस कार्यवाही करते हुए त्रुटिरहित व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं।

आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने आज नगर पालिक निगम कोरबा के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत स्थित सभाकक्ष में निगम के अधिकारियों, अभियंताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक लेते हुए जी. एफ.सी. स्टार रेटिंग, ओ.डी.एफ. प्लस–प्लस व वाटर प्लस के संबंध में निगम द्वारा किए जा रहे कार्यो की बिन्दुवार समीक्षा की। यहॉ उल्लेखनीय है कि स्वच्छ भारत मिशन – मिशन क्लीन सिटी अंतर्गत कोरबा शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के सर्वे का कार्य किया जा चुका है, वहीं नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा गारवेज फ्री सिटी, सेवन स्टार रेटिंग की दावेदारी भी की गई है, साथ ही ओ.डी. एफ. प्लस–प्लस व वाटर प्लस की रेटिंग के संबंध में भी तैयारियॉ की जा रही है। आयुक्त श्री पाण्डेय ने इस संबंध में अधिकारियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि निगम की डोर–टू–डोर

अपशिष्ट संग्रहण व्यवस्था में पूर्ण रूप से कसावट लाते हुए शत प्रतिशत घरों से सूखे व गीले कचरे का पृथक–पृथक संग्रहण सुनिश्चित कराएं, साथ ही कचरे के सोर्स सेग्रीगेशन यानी कचरा उत्सर्जन स्थल पर ही कचरे का पृथकीकरण, गीले एवं सूखे कचरे की प्रोसेसिंग, डम्प साईट रेमिडेशन तथा विजुअल क्लीननेस से जुड़े सभी कार्यो पर ठोस कार्यवाही करते हुए निर्धारित मानकों के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं।

प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेंट पर फोकस – बैठक के दौरान आयुक्त श्री पाण्डेय ने प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेंट से जुड़े कार्यो पर विशेष फोकस रखने, यूजर चार्जेज कलेक्शन को बढ़ाने तथा स्वच्छता व साफ–सफाई से जुड़े शिकायतों का समयसीमा पर त्वरित निराकरण करने के साथ–साथ प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करने तथा इसका उपयोग करते पाए जाने पर अर्थदण्ड लगाने आदि की कार्यवाही करें। उन्होने कहा कि सी.एण्ड डी.वेस्ट का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करें तथा सड़कों व सार्वजनिक स्थलों पर सी.एण्ड डी.वेस्ट की डम्पिंग पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराएं।

वाटरबाडी व सिटी ब्यूटीफिकेशन – आयुक्त श्री पाण्डेय ने अधिकारियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि निगम क्षेत्र में स्थित विभिन्न वाटरबाडी, तालाब, जलस्त्रोत आदि के सौदंर्यीकरण व शहर के सौदंर्यीकरण पर निरंतर कार्य करें। वाटरबाडी में बोर्ड लगाएं तथा बोर्ड में इस चीज का उल्लेख करें कि जल स्त्रोत में विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट यथा पूजा सामग्री, फूल माला तथा अन्य किसी भी प्रकार का अपशिष्ट न डालें, जल स्त्रोत के समीप लिटरबिन्स स्थापित करें, ताकि लोग अपशिष्ट को लिटरबिन्स में ही डालें।

सीटीपीटी में मानदण्डों के अनुरूप हो व्यवस्थाएं – आयुक्त श्री पाण्डेय ने जोन कमिश्नरों व अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि निगम क्षेत्र में स्थित समस्त सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों की व्यवस्थाओं पर निरंतर सुधार कार्य जारी रखें तथा वहॉ पर निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप व्यवस्थाएं हों, यह अंतिम रूप से सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि स्कूलों, शासकीय कार्यालयों, शॉपिंग काम्पलेक्स आदि में स्थित शौचालयों का भी समय–समय पर निरीक्षण करते हुए वहॉ की त्रुटिरहित व्यवस्थाओं को देखें, इसी प्रकार पेट्रोल पम्प आदि में स्थित शौचालयों के संबंध में बोर्ड लगवाएं तथा मेल–फीमेल के स्टीकर लगाए जाएं।

शहर की स्वच्छता पर कड़ी नजर – आयुक्त श्री पाण्डेय ने निगम के जोन कमिश्नरों, स्वच्छता विभाग के अधिकारियों, मैदानी अमले व स्वच्छता एजेंसियों को निर्देश देते हुए कहा कि शहर की स्वच्छता पर वे कड़ी नजर रखें, सड़क के किनारे, सार्वजनिक स्थानों पर कहीं भी कचरा पड़ा हुआ दिखाई न दें, साफ–सफाई के कार्य निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप सुनिश्चित कराएं, स्वच्छता कार्यो में सभी उपलब्ध संसाधनों का पूरा–पूरा उपयोग करें, इनसे जुड़े कार्यो में अगर कहीं पर भी किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो उच्च अधिकारियों को तत्काल अवगत कराते हुए उसका निराकरण कराएं।

शिकायतों का हों त्वरित निराकरण – बैठक के दौरान आयुक्त श्री पाण्डेय ने अधिकारियों से कहा कि स्वच्छता व साफ–सफाई से जुड़ी शिकायतों के साथ–साथ पेयजल, सड़क रोशनी व निगम से संबंधित अन्य कार्यो के संबंध में प्राप्त शिकायतों का समयसीमा पर त्वरित निराकरण कराएं, निदान 1100 में प्राप्त शिकायतों का समयसीमा पर निराकरण करते हुए समय–समय पर समीक्षा करें तथा देखें कि सभी शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण किया जा चुका है।

बैठक के दौरान अपर आयुक्त विनय मिश्रा, अधीक्षण अभियंता सुरेश बरूवा, स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.संजय तिवारी, जोन कमिश्नर विनोद शांडिल्य, तपन तिवारी, अखिलेश शुक्ला, प्रकाश चन्द्रा, एन. के.नाथ, अजीत तिग्गा, वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक सुनील वर्मा, सचिन्द्र थवाईत, शैलेन्द्र नामदेव,

अभियंता सुनील टांडे, एम.एल.बरेठ, यशवंत जोगी, पीयूष राजपूत, आकाश अग्रवाल, विपिन मिश्रा, गोयल सिंह विमल, विवेक रिछारिया, सोमनाथ डेहरे, अभय मिंज, किरण साहू, अंजुला अनंत, अंजूलता तिग्गा, पंकज गभेल, गिरवर विश्वकर्मा आदि के साथ सुलभ इंटरनेशनल के प्रतिनिधि तथा स्वच्छता कार्य एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

समाचार

29, 30 व 31 मार्च को साकेत एवं जोन कार्यालयों में लिया जाएगा सभी करों का भुगतान

(करदाताओं की सुविधा हेतु अवकाश के इन 03 दिनों में भी टैक्स भुगतान हेतु खुले रहेंगे काउंटर)

कोरबा 28 मार्च 2025 – समाप्त होते वित्तीय वर्ष व करदाताओं की सुविधा के मद्देनजर नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा 29, 30 एवं 31 मार्च के अवकाश दिवस में भी सम्पत्तिकर सहित सभी प्रकार के करों के भुगतान हेतु निगम कार्यालय साकेत भवन एवं सभी जोन कार्यालयों के टैक्स काउंटर को खुला रखा जाएगा, करदाता कार्यालयीन समय पर पहुंचकर करों का भुगतान कर सकते हैं।

यहॉ उल्लेखनीय है कि 29, 30 एवं 31 मार्च को सार्वजनिक अवकाश है, चूंकि वित्तीय वर्ष समाप्त होने की ओर है, इसको ध्यान में रखते हुए करदाताओं की सुविधा के मद्देनजर निगम के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत स्थित टैक्स जमा काउंटर तथा निगम के सभी जोन कार्यालयों में स्थित टैक्स काउंटर खुले रहेंगे ताकि करदाता इन तिथियों में भी निगम को देय सम्पत्तिकर व अन्य करों का भुगतान कर सकें। निगम द्वारा करदाताओं एवं बकायादारों से कहा गया है कि वे उक्त तिथियों में भी कार्यालयीन समय पर निगम के मुख्य कार्यालय या संबंधित जोन कार्यालय में पहुंचकर अपने बकाया करों का भुगतान कर सकते हैं।